झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2692 वर्ष 2020

1. अमित राज

2. राजन प्रसाद .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा सचिव, आबकारी और निषेध विभाग, कार्यालय–उत्पाद भवन, दूसरी मंजिल, आबकारी भवन, नवीन पुलिस केंद्र, कांके रोड, रांची।

2. आबकारी आयुक्त, रांची।

3. सहायक आबकारी आयुक्त, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम .... उत्तरदाता गण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ताओं के लिए: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

श्री विपुल पोद्दार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अनीश मिश्रा, जी0ए0–I के ए0सी0

04/06.01.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया।

याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, जैसा कि कार्यालय द्वारा बताया गया, दोषों की अनदेखी की जाती है।

वर्तमान रिट याचिका उत्तरदाताओं पर यह निर्देश जारी करने के लिए दायर किया गया है कि दिनांक 28 अगस्त, 2020 (रिट याचिका के संलग्नक–5) निहित ज्ञापन संख्या 1433 में निहित अधिसूचना को संशोधित/परिवर्तित/अन्तर किया जाय और कम किये गए न्यूनतम गारंटी राजस्व को छह महीने की अवधि जब तक कि कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के फैलने के कारण मौजूदा स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक आगे बढ़ाया जाय।

श्री इंद्रजीत सिन्हा, वाचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रारम्भ में निवेदन किया है कि उत्तरदाताओं ने जून, 2020 तक खुदरा शराब लाइसेंसधारियों के लिए कम न्यूनतम गारंटी राजस्व का लाभ बढ़ाया था, जो कि कोरोना महामारी (कोविड–19) के फैलने के कारण प्रचलित स्थिति कोध्यान में रखते हुए किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्त्ताओं की संबंधित खुदरा दुकाने रांची और टाटानगर के रेलवे स्टेशनों के पास स्थित है और रेलवे अभी भी प्रतिबंधित तरीके से काम कर रहा है, इसलिए जून, 2020 के बाद भी उनकी शराब की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उक्त स्थिति ने याचिकाकर्त्ता संख्या 1 को अपना लाइसेंस सं0 053 _ FLX _ EAS _ 19-20 और 054 _ FLX _ EAS _ 19-20 को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इसी तरह याचिकाकर्त्ता संख्या 2 भी लाइसेंस सं0 067 _ FLX _ RNC _/ 19-20 और 049 _ CLX _ RNC _/ 19-20 को आत्मसमर्पण करने का इरादा है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दोनों याचिकाकर्त्ताओं ने सचिव, आबकारी और निषेघ विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची

सहित विभिन्न अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया है, हालांकि अभी तक इस पर काई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अनीश मिश्रा, जी0ए0–I के ए0सी0 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि न्यूनतम गारंटी राजस्व के लाभ का विस्तार नीति का विषय है जो सभी खुदरा शराब लाइसेंसधारियों पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि, यदि याचिकाकर्त्ता आबकारी आयुक्त, रांची–प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर नए अभ्यावेदन दायर करते हैं, तो कानून के अनुसार उक्त प्रतिवादी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मुद्दे पर याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन अभी भी अनिर्धारित हैं, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ताओं को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष, इस मुद्दे पर नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, याचिकाकर्त्ताओं/उनके प्रतिनिधियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिवादी संख्या 2, वर्तमान मुद्दे पर कानून के अनुसार एक सूचित निर्णय शीघ्रता से लेगा।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)